कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक- 30.08.2026

□थाना सैयदराजा पुलिस व स्वाट टीम द्वारा गोवध के मुकदमें में वाँछित 25,000/- रुपये के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण:

दिनांक 25.03.2026 को थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा जेठमलपुर तिराहा (NH-2 हाईवे उत्तरी लेन) पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान चंदौली की तरफ से आ रही एक सफेद रंग की पिकअप (बिना नंबर प्लेट) के चालक ने पुलिस टीम को चेकिंग करते देख, वाहन को 10-15 मीटर पहले ही सड़क किनारे रोक दिया और वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध पिकअप वाहन का निरीक्षण किया गया: वाहन के डाला के किनारे प्लास्टिक के कैरेट लगाए गए थे। कैरेट हटाने पर उसके अंदर 06 गोवंश (सांड़) अत्यंत क्रूरतापूर्वक और निर्दयता से रस्सियों से बंधे हुए पाए गए, जो मुश्किल से सांस ले पा रहे थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। वाहन का चेसिस नंबर MA1RA2TTKP1D40277 था। 'ई-चालान ऐप' से जांच करने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर UP70LT9005 तथा पंजीकृत स्वामी गंगाधर पाण्डेय पुत्र शोभनाथ पाण्डेय (निवासी: शंकरपुर धानुपुर, थाना हंडिया, जनपद प्रयागराज) प्रदर्शित हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सैयदराजा पर मु.अ.सं.- 88/2026 के तहत धारा 3/5A/5B/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम तथा धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर कानूनी कार्यवाही की गई थी।

पंजीकृत अभियोग के विवेचना के क्रम में गिरफ्तार किये गये अन्य अभियुक्तों से पूछताछ से प्रकाश में आया था कि दिनाँक 25.03.2026 को वाहन चालक विकास यादव पुत्र पप्पू यादव, निवासी ग्राम लसार बरौत, थाना हंडिया, जनपद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश (उम्र लगभग 24 वर्ष) पुलिस टीम द्वारा की जा रही चेकिंग देखकर गोवंशों से लदे वाहन को छोड़कर भाग गया था।

पुलिस कार्यवाही-

उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष सैयदराजा अशोक कुमार मिश्रा व प्रभारी निरीक्षक स्वाट राम जनम यादव के कुशल नेतृत्व में थाना सैयदराजा पुलिस व स्वाट टीम टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 88/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में वाँछित अभियुक्त विकास यादव पुत्र पप्पू यादव निवासी लसार बरौत, थाना हंडिया, जनपद प्रयागराज को उसके घर के पीछे स्थित बगीचे से दिनांक 29.08.2026 को समय 15.30 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह और वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर UP70LT9005 के पंजीकृत स्वामी गंगाधर पाण्डेय पुत्र शोभनाथ पाण्डेय निवासी: शंकरपुर धानुपुर, थाना हंडिया, जनपद प्रयागराज दोनों व्यक्तियों ने साथ मिलकर वाहन खरीदा और गोवंशों की तस्करी की योजना बनायी। आस-पास गोवंशों को सस्ते दामों पर खरीदकर व छुटें हुए गोवंशों को इकट्ठा कर वाहन पर लाद कर तस्करी करते थे। योजना के अनुसार दिनाँक 25.03.2026 को वाहन चालक विकास यादव पुत्र पप्पू यादव, निवासी ग्राम लसार बरौत, थाना हंडिया, जनपद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश (उम्र लगभग 24 वर्ष) वाहन को लेकर आ रहा था किन्तु वाहन पास कराने वाले तस्कर द्वारा लोकेशन ना दिये जाने के कारण पुलिस टीम द्वारा की जा रही चेकिंग देखकर गोवंशों के लदी वाहन को छोड़कर भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

विकास यादव पुत्र पप्पू यादव, निवासी ग्राम लसार बरौत, थाना हंडिया, जनपद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश (उम्र लगभग 24 वर्ष)।

पुरस्कार राशि: ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) का इनामिया।

आपराधिक इतिहास:

1-मु.अ.सं. 88/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम — थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।

2-मु.अ.सं. 457/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम — थाना हंडिया, जनपद कमिश्नरेट प्रयागराज।

3-मु.अ.सं. 122/2025 धारा 115(2)/351(2)/352 बी.एन.एस. (BNS) — थाना हंडिया, जनपद कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।

का० बृजेश चौहान, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।

का० शंकर राम, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।

का० आशीष कुमार, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।

स्वाट टीम-

1.नि0 राम जन्म यादव (प्रभारी स्वाट टीम)

2.मु0आ0 -राणा प्रताप सिंह

3.मु0आ0 रामानंद यादव

4.मु0आ0 आशुतोष सिंह

5.मु0आ0 सतीश सिंह

6.आ0 अमित सिंह

7.आरक्षी महेश कुमार

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 30.08.2026

□थाना चन्दौली पुलिस द्वारा गोवध के मुकदमे में वांछित ₹25,000/- के इनामिया अभियुक्त/वाहन स्वामी को किया गया गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण- दिनांक 21.03.2025 को थाना कोतवाली चन्दौली पुलिस क्षेत्र संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के लिए लीलापुर फाटक के पास मौजूद थी कि कुछ समय पश्चात एक मैजिक संदिग्ध दिखने पर जब उसे रुकवाया गया एवं चेकिंग की गई तो दो लोग गाड़ी के अन्दर बैठे थे। उन्हें नीचे उतरवाकर जब गाड़ी को चेक किया गया उसमें कुल 03 गोवंश बरामद हुए थे तथा वाहन सं0 UP65NT2072 को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चन्दौली पर मु0अ0सं0 65/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है। उक्त अभियोग में अभियुक्त विजय कुमार राजभर पुत्र राजनाथ राजभर निवासी बबुआ उदयपुर, थाना चोलापुर, जनपद वाराणसी काफी समय से वांछित चल रहा था तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु ₹25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था।

पुलिस कार्यवाही-

उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चन्दौली के नेतृत्व में थाना चन्दौली पुलिस द्वारा वांछित एवं इनामिया अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहा था। इसी क्रम में सर्विलांस सेल की ट्रैक लोकेशन एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा दिनांक 30.08.2026 को समय करीब 09.20 बजे प्रातः अभियुक्त विजय कुमार राजभर पुत्र राजनाथ राजभर निवासी बबुआ उदयपुर, थाना चोलापुर, जनपद वाराणसी को पलही पट्टी चौराहा, थाना चोलापुर, जनपद वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विजय कुमार राजभर पुत्र राजनाथ राजभर, निवासी बबुआ उदयपुर, थाना चोलापुर, जनपद वाराणसी।

पुरस्कार राशि: ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये)

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 65/2025, धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना चन्दौली, जनपद चन्दौली।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री केशव प्रसाद सिंह, थाना कोतवाली चन्दौली।

का0 हरेन्द्र कुमार सिंह, थाना कोतवाली चन्दौली।

का0 अरविन्द कुमार प्रथम, थाना कोतवाली चन्दौली।

सर्विलांस टीम-

हे0का0 प्रेम प्रकाश यादव